वन भूमि की मांग की औचित्य पूर्ण विस्तृत आख्या

परियोजना का नामः– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज न0 XVIII के अन्तर्गत सौरा–सारी–सिल्ला से पिलंग मोटर मार्ग (8.500 किमी0) के निर्माण हेतु 4.900 है0 आरक्षित वन भूमि 0.700 है0 सिविल भूमि, 1.140 है0 डम्पिंग हेतु वनभूमि, 6.740 है0 कुल वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया ग्राम पिलंग की 267 की आबादी अभी तक मोटर मार्ग से नहीं जुड़ी है और ग्रामवासियों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिये लगभग 08 किमी0 पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। प्रस्तावित समरेखण ग्राम पिलंग के नाप भूमि, सिविल सोयम भूमि, व वन आरक्षित भूमि से होकर गुजर रहा है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की भूमि प्रस्तावित नहीं हो रही है जो तकनीकी भू–वैज्ञानिकों के दिशा–निर्देशों के अनुसार उपयुक्त बताया गया है। जैसा कि मानचित्र के अनुसार ग्राम पिलंग की नाप भूमि तथा आरक्षित वन भूमि एवं सिविल भूमि से घिरा है। उक्त निर्माण कार्य के दौरान मक डिस्पोजल चयनित वन भूमि एवं चयनित सिविल भूमि में किया जायेगा।

अतः ग्राम पिलंग तक मोटर मार्ग निर्माण के लिए आरक्षित व सिविल तथा नाप भूमि की आवश्कता है इसलिए प्रस्तावित समरेखण में भू–वैज्ञानिक द्वारा परीक्षण कराकर न्यूनतम आरक्षित व सिविल भूमि की मांग की गई है। उक्त भूमि का हस्तान्तरण किया जाना अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 250 से अधिक आबादि वाले गांव पिलंग को जोड़े जाने का प्राविधान है, जो कि सौरा–सारी–सिल्ला से पिलंग मोटर मार्ग (8.500 किमी0) लम्बाई में प्रस्तावित है।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मोटर मार्ग का निर्माण औचित्य पूर्ण है।

सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सि0ख0
उत्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सि0ख0
उत्तरकाशी

वनक्षेत्राधिकारी
टकनौर रैंज
भटवाड़ी

तहसीलदार
भटवाडी

उपजिलाधिकारी
भटवाड़ी